न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 24/23 सन् 2023

आरसीएमएस संख्या 2023/180

बउनवानी :–1. भवंर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा

2. विकम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारना डूँगर
2. कजोड पुत्र पून्या मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
3. कमला पत्नि मुरारीलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
4. कैलाशी पत्नि चंदालाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
5. भरतलाल पुत्र श्योजी मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
6. मूल्या पुत्र रामा मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
7. लाडबाई पत्नि मोहरपाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
8. लाली देवी पत्नि रामखिलाडी मीना, निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
9. सीताराम पुत्र रंगलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
10. उपजिला कलेक्टर, मलारना डूँगर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर मलरना डूँगर न्यायलय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या संख्या 06/2023 उनवानी भवंर सिंह बनाम लैण्ड होल्डर वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री रघुनन्द सिहं राजावत वकील प्रार्थी

2. श्री हिम्मत सिंह राजावत वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 8.5.2024

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर में विचाराधीन प्रकरण प्रकरण संख्या 06/2023 उनवानी भवंर सिह बनाम कजोड वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थांनान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद पत्र संख्या 38/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 46/2022 उनवानी विक्रम सिंह बनाम लेण्ड होल्डर वगै0 उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय मे पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था जिस कारण अप्रार्थीगण एवं उपजिला कलेटर न्यायालय बौली के पीठासीन अधिकारी की आपस में मिलीभगत होने के झूंठे आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बाबत लगाया जाने पर दिनांक 11.1.2023 को उक्त दोनो प्रकरण उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को मुन्तकिल किये गये है जिसकी पालना मे उक्त प्रकरण उप[illegible] के न्यायालय दर्ज रजिस्टर होकर विचाराधीन चल रहे है किन्तु उक्त वर्तमान में प्र[illegible] उपजिला कलक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे कोई सुनवायी नही हो रही [illegible] डूँगर आने जाने मे परेशानी भी होती है तथा न्यायालय उपजिला [illegible] तत्कालीन पीठासीन अ[illegible] का अन्यत्र स्थानान्तरण भी हो चुका है इसलिए अब प्रकरण संख्या 6[illegible]3 भवंर सिंह बनाम लै[illegible] वगै. को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

(खुशहाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह तर्क भी दिया कि वकील प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाते हुए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है क्योकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.1.2022 से वाद पत्र संख्या 38/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 46/2022 उनवानी विकम सिंह बनाम लेण्ड होल्डर वगै0 उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूंगर को मुन्तकिल किये गये है। उक्त आदेश को प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे चुनौती दी गयी है जिसमे राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 25.1.2023 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.1.2023 की पालना एवं प्रभाव मण्डल की आगामी तारीख पेशी तक स्थिगित किया जा चुका है तथा उक्त प्रकरण अभी तक राजस्व मण्डल मे जैरकार है। इसलिए अब उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूंगर से उपजिला कलक्टर न्यायालय बौंली में मुन्तकिल किये जाने के आदेश भी राजस्व मण्डल मे जैरकार प्रकरण संख्या 600/2023 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै0 मे ही तय होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने एवं झूंठे तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण को उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय मे भिजवाये जाने हेतु वादी भवंर सिंह द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो वर्तमान में तनकियात मे जैरकार है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण इस कथन के साथ उक्त प्रकरण को उपजिला कलेक्टर बौंली से उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर मे मुन्तकिल करवाना चाहते है कि उपजिला कलेक्टर बौंली के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरण हो चुका है तथा मलारना डूँगर उनके निवास स्थान से दूर होने के कारण प्रार्थीगणों को मलारना डूँगर तारीख पेशी मे आने जाने पर यातायात एवं आवागमन में परेशानी होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.1.2022 से वाद पत्र संख्या 38/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 46/2022 उनवानी विक्रम सिंह बनाम लेण्ड होल्डर वगै0 उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर को मुन्तकिल किये गये है। उक्त आदेश दिनांक 11.1.2023 को प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे चुनौती दी गयी है जिसमे राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 25.1.2023 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.1.2023 की पालना एवं प्रभाव मण्डल की आगामी तारीख पेशी तक स्थिगित किया जा चुका है तथा उक्त प्रकरण अभी तक राजस्व मण्डल मे जैरकार है। इसलिए अब उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण संख्या 6/2023 भवंर सिंह बनाम लैण्ड होल्डर को उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर से उपजिला कलक्टर न्यायालय बौंली में मुन्तकिल किये जाने के आदेश भी राजस्व मण्डल मे जैरकार प्रकरण संख्या 600/2023 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै0 मे ही तय होना है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र झूंठे एवं बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर एवं राजस्व मण्डल के स्थगन जैसे तथ्यों छिपात को हुए पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:53 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner